राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2154/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत्त–एच्च, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सोढानी स्वीट्स,
49, जडियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 319/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/एच/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत्त–एच, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2000 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 20,780/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दि. 08.03.2000 को प्रत्यर्थी का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण फर्म के बाहर कुछ कच्चा माल पाया गया जिसे मार्गस्थ (In Transit) माल मानते हुए इस माल के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी से दस्तावेज चाहे गये। प्रत्यर्थी द्वारा बिल बिल्टी एवं चालान आदि सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का करापवंचन का आशय मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 20,780/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी पंजीकृत व्यवहारी है एवं सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा खाली पेपर पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर करवाये जाकर वक्त सर्वेक्षण शास्ति वसूलने हेतु दबाव डाला गया। उसके लेखा पुस्तकों का सही रूप से संधारण किया जा रहा है, विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी के प्रकरण में अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं होते है, क्योंकि वक्त सर्वेक्षण पाया गया माल ट्रांजिट में नहीं था तथा माल का इंद्राज लेखा पुस्तकों में किया जा चुका था। उन्होंने कथन किया कि सशक्त अधिकारी इसे सर्वेक्षण का केस मानते हैं तो माल ट्रांजिट में कैसे हो सकता है ? प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1. **(1996) 103 एसटीसी 385 (आरटीटी)**
2. **(1989) 5 आरटीजेएस 178**
3. **(1995) 17 आरटीजेएस 109**

उक्त न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी एक पंजीकृत व्यवहारी है एवं सशक्त अधिकारी ने प्रकरण में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की है, जबकि विवादित माल व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर अघोषित पाया गया था। यह माल मार्गस्थ नहीं था, माल के मार्गस्थ होने पर ही धारा 78(2) के प्रावधानों के उल्लंघन पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण के प्रावधान निहित है। अतः प्रथम दृष्टया ही धारा 78 के तहत अविधिक कार्यवाही है जिसको किसी प्रकार से पुष्ट किया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य